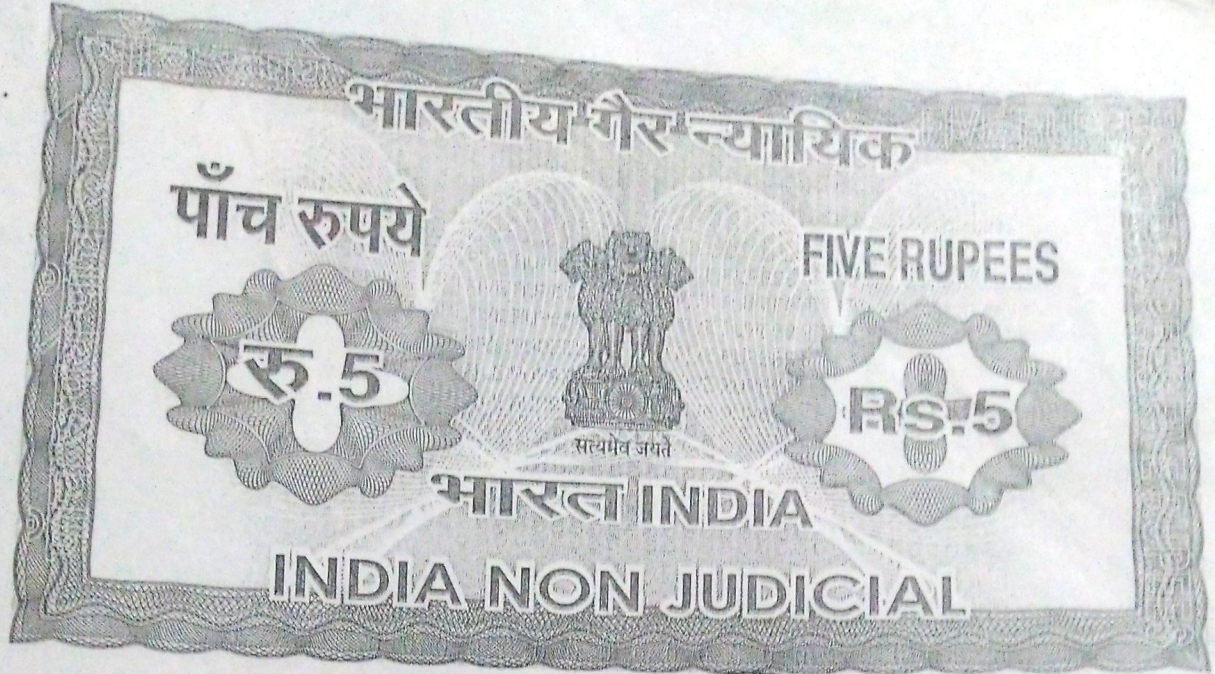

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH 05AA 255576

Court of Sub-Divisional Magistrate Kalpa at R/Peo, Kin. (H.P.)

<u>इकरारनामा</u>

यह इकरारनामा आज दिनांक 19 माह अप्रैल सन् [illegible] को ग्रामवासी ग्राम मेबर तहसील कल्पा जिला किन्नौर हि0 प्र0 (जिसे इस के पश्चात प्रथम पक्ष भी कहा जा सकेगा) बंजरिया 1) श्रीमति लोबजंग पालमो प्रधान ग्राम पंचायत मेबर 2) श्री कृष्ण देव अध्यक्ष संघर्ष समिति मेबर 3) श्री अमित कुमार उपप्रधान ग्राम पंचायत मेबर व महाप्रबन्धक एच0 पी0 पी0 सी0 एल0 शौंगठौंग–करच्छम एच0 ई0 पी0 (पोवारी–रल्ली 450 मे0 वा0) रिकांगपिओ जिला किन्नौर हि0 प्र0 (जिन्हे इस के पश्चात द्वितीय पक्ष भी कहा जा सकेगा) के बीच परस्पर सम्पन्न हुआ।

	मांगों के निर्णय का विवरण
1.	हि0 प्र0 उर्जा निगम अपने लागत पर रल्ली से बरोदार ;मेबर के मध्य ग्रामीणों के आवागमन हेतु (**Two way passenger trolley**) दोनो तरफ चलने वाली ट्राली का निमार्ण करेगी और इस कार्य को **HPPCL** स्वंय करेगा। अनापति प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरु कर दिया जाएगा। **NOC** जारी करने की तिथि से 6 महीने **Clearances** के लिए एवं 15 महीनें कार्य पूर्ण करने के लिए सयम सीमा रहेगी। **HPPCL** गांव के अधिकृत व्यक्तियों को **trolley** चलाने बारे 6 महीने तक प्रशिक्षण देगी। यदि उर्जा निगम इस कार्य को करने मे किसी कारण वश विफल रहती है तो निगम **trolley** के उस समय के वर्तमान अनुमानित लागत जिलाधीश किन्नौर के पास ग्राम पंचायत मेबर के नाम जमा करेगी।
2.	बरोदार से मेबर मन्दिर तक जीप योग्य सड़क का निमार्ण करेगी, जिसकी लम्बाई लगभग 2.5 किलो मीटर है। जिसकी अनुमानित लागत 75 लाख रुपये है। निगम इस कार्य के लिए राशि किश्तो मे (10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 20 लाख) पंचायत को मुहैया कराएगी। इस कार्य के लिए **Clearances** पंचायत को अपने आधार पर लेना होगा एवं निमार्ण कार्य स्वंय पंचायत करेगी। इसकी पहली किस्त (**Rs. 10 Lac**) **NOC** जारी करने की तिथि से तीन महीने के भीतर जारी की जाएगी। बाकी किस्ते उपयोगिता प्रमाण पत्र (U/C) जमा करने के एक महीने के भीतर जारी की जाएगी। यदि इस राशि से सड़क का कार्य पूर्ण नही हुआ तो शेष कार्य के लिए धनराशि चरणबद्व तरीके से

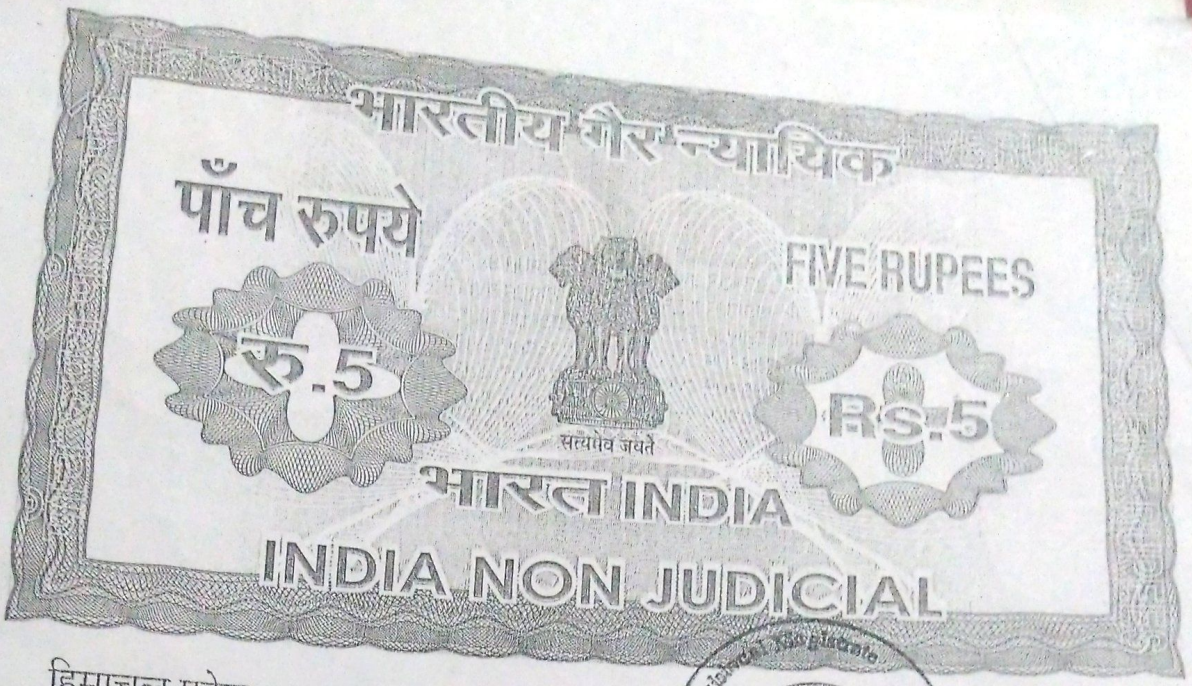

हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH

05AA 255577

	बिना बाधा के कार्य पूर्ण होने तक निगम मुहैया कराएगी। इस जीप योग्य मार्ग निर्माण के लिए जो तकनीकी संम्बन्धी खर्चा आएगा उसका भी निगम ही वहन करेगा।
3.	हि0 प्र0 उर्जा निगम के परियोजना निर्माण के कारण यदि सामुदायिक अथवा निजि सम्पति को प्रमाणित क्षति होती है तो उर्जा निगम उसकी भरपाई सरकार के नियमानुसार करेगा।
4.	मेबर पंचायत क्षेत्र मे परियोजना निर्माण के दौरान नुक्सान होने की स्थिति मे निगम, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के मनोनित सदस्य एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि (तहसीलदार के पद से कम नही) नुकसान का उचित पुष्टि करेगे एवं आकंलन करेगे तथा नुकसान की पुष्टि होने पर निगम इसकी भरपाई आपदा होने के 3 महीने के समय काल में करेगी। जो परियोजना निर्माण के पूर्ण होने के दो वर्ष बाद तक की जाएगी। समस्या का आपसी समाधान न होने पर जिलाधीश किन्नौर के पास इसका समाधान किया जाएगा।
5.	परियोजना निर्माण के दौरान प्रदूषण से बागवानी एवं कृषि में होने वाली क्षति का मुआवज़ा सरकार के द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार क्षति पूर्ति दावो का निपटारा किया जाएगा।
6.	निगम द्वारा वन अधिकार के एवजं मे जो न्यूनतम 500 दिन के बराबर की राशि दी जानी है उसे सरकार के न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मासिक वितीय सहायता के रुप मे परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगो को दिया जाएगा। इस वितीय राशि को वन भूमि हस्तांतरण होने के उपरांत जारी कर दिया जाएगा।
7.	निगम द्वारा अधिग्रहन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सड़क एवमं संसाधन प्रयोग हेतू ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी। अन्यथा ग्राम सभा का अपना निर्णय लागू होगा।
8.	विकास कार्य के लिए 10 लाख की राशि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त किश्तो में जारी कर दी जाएगी।
9.	हर प्रभावित परिवार को दो कमरे एवं टायलेट, तथा किचन बनाने हेतू रेता व बजरी परियोजना का कार्य शुरु होने पर मुहैया करवाएगी। अतिरिक्त रेता व बजरी ग्राम पंचायत के सिफारिश पर यदि कोई उचित (Genuine) आवश्यकता हो तो दी जाएगी। जिसे सबसे नजदीक के स्टोक यार्ड से दिया जाएगा।
10	निगम निमार्ण कार्य मे नियन्त्रित विस्फोट करेगा तथा सरकार के नियमनुसार ही कार्य करेगी।
11	आपदा प्रबन्धन एवमं शिकायत निवारण समिति परियोजना का कार्य शुरु होने से पहले तथा परियोजना के पंचायत क्षेत्र मे गठित कर दी जाएगी, जिसमे एक सदस्य जिला प्रशासन से, तीन सदस्य निगम से एवं उपाध्यक्ष सहित तीन सदस्य ग्राम सभा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि होगे, गम्भीर आपदा/शिकायत होने की स्थिति मे उसका निपटारा एक

№ 2432122 2011 Himachal Government Judicial Paper

	सप्ताह के भीतर किया जाएगा एवं सामान्य परिस्थितियों मे शिकायत/आपदा होने की स्थिति मे उसका निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर पंचायत मे लगाऐं जाएगे। निगम किसी भी प्रकार के परियोजना के कार्य को रोकने से संम्बन्धित शिकायत को, जिला प्रशासन या राज्य सरकार से करता है तो उसकी प्रतिलिपि पंचायत को प्रेषित की जाएगी।
12	निगम केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेगा।
13	निगम मेबर व रल्ली गांव मे भूकम्प मापक यंत्र, जिस पर ग्राम सभा एवं निगम दोनो का बराबर नियंत्रण होगा, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पहले स्थापित कर दिया जाएगा। इसके नियम भी उपलब्ध कराये जायेगे।
14	परियोजना निर्माण की वजह से अगर पानी के स्त्रोत सूखेगे तो उसकी भरपाई सम्बन्धित विभाग (सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग) द्वारा उचित माध्यम से की जाएगी। इसके लिये धनराशि HPPCL द्वारा दी जायेगी।
15	उपरोक्त सभी कम संख्या 1 से 14 तक पर व्यय राशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त होगें।
16	मेबर दाखो मेबर रास्ता मेबर वासियों एवं देवता साहिब के आने जाने के लिए कम से कम चार फुट चौड़ा रखा जाएगा।
17	निगम इकरारनामे के अनुसार माने हुए पंचायत के मुददो पर कार्य करेगी, किसी प्रकार की असहमति होने पर पंचायत तथा सर्घष समिति के साथ बात कर आपसी सहमति से समाधान करेगी। अन्यथा ग्राम सभा शिकायत निवारण समिति के पास जाने के लिए स्वतन्त्र होगी। शिकायत के प्रर्याप्त समय मे निवारण न होने पर दोनो पक्ष कानूनी कार्यावाही के लिए स्वतंत्र होगे।
18	मेबर पंचायत के इच्छुक ठेकेदारो को निगम योग्यता अनुसार एवं पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति के अनुसार ही कार्य उपलब्ध करवाएगी।
19	रल्ली से मेबर पैदल मार्ग मे जहा पर जरुरत होगी वहां पर आवश्यकता अनुसार रास्ता पक्का करने तथा रैलिग के निमार्ण हेतु निगम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

सूचमि ग्राम सभा मेबर की सभी शर्ते मान ली गई है। अतः ग्राम पंचायत मेबर एवं सषर्घ समिति मेबर तथा सभी ग्राम वासी परियोजना के कार्य मे पूर्ण सहयोग करेगी एवं किसी प्रकार का व्यवधान नही डालेगी। यदि उपरोक्त शर्तो के अलावा 10 से ज्यादा ग्रामवासी व्यवधान डालते है तो यह इकरारनामा निरस्त समझा जाएगा।

यह कि उपरोक्त इकरारनामा में लिखित शर्तों के आधार पर प्रथम पक्ष/ग्राम वासी मेबर, द्वितीय पक्ष/एच0 पी0 पी0 सी0 एल0 के पक्ष में शौंगठौंग करच्छम जल विद्युत परियोजना के निमार्ण के लिए अनापति प्रमाण पत्र देने को तैयार है।

अतः यह इकरारनामा दोनों पक्षों ने स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में व बिना किसी बाहरी दबाव के ग्वाहन के समक्ष लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आये।

आज दिनांकः—

मुकामः— रिकांग पिओ

गवाहनः—

श्री हरी कृष्ण 19-4-12

सदस्य, पन्चायत समिति बांगा वार्ड

श्री परमेश्वर नेगी

सचिव, संघर्ष समिति मेबर

मुकेश रौमदाटी

कनिष्ठ अधिकारी (R&R)

शौंगठौंग-करछम जल विद्युत परियोजना, रिकांग पिओ

Sr. Manager (R&R)
Shongtong-Karchham HEP,
HPPCL, Reckong Peo,
Distt. Kinnaur H.P., 172107

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर ....

दिनांक 19-4-12

द्वितीय पक्ष

General Manager,
Shongtong-Karchham HEP,
HPPCL, Reckong Peo
Distt. Kinnaur (HP) 172107

SDK- 1026/2012

Attested

Sub Divisional Magistrate
Kalpa at R/Peo Distt. Kinnaur